

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 32/2020

अपीलार्थी-

भूराराम पुत्र हीराराम जाति चौधरी  
निवासी समदड़ी तहसील समदड़ी  
जिला बाड़मेर

बनाम

उत्तरदाता-

1. तहसीलदार सिवाना वर्तमान  
नवसृजित तहसील समदड़ी
2. रामाराम पुत्र माधा जाति भील
3. हरजी पुत्र माधा जाति भील
4. सांवलाराम पुत्र माधा जाति भील
5. शंकराराम पुत्र माधा जाति भील
6. जवाराराम पुत्र माधा जाति भील
7. मोहनराम पुत्र माधा जाति भील
8. सेवाराम पुत्र माधा जाति भील
9. गुलाबराम पुत्र माधा जाति भील
10. छड़की बेवा बादरराम जाति भील  
सभी निवासी समदड़ी जिला बाड़मेर
11. हरवंशप्रसाद पुत्र सेवाराम जाति  
खत्री निवासी समदड़ी तहसील  
समदड़ी जिला बाड़मेर



राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व  
अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 17.06.2002 जो संपरिवर्तन  
प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री कैलाश पुरी, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुरेश कुमार पूनड़, अधिवक्ता रेस्पोंडेंट सं. 5से11 की ओर उपस्थित।
3. रेस्पोंडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार
4. शेष रेस्पोंडेंट्स बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।

*Low*  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

राजस्व अपील/32/2020/भूराराम बनाम तहसीलदार समदड़ी  
राजस्व अपील/31/2020/ भूराराम बनाम तहसीलदार समदड़ी  
राजस्व अपील/33/2020/ भूराराम बनाम तहसीलदार समदड़ी  
राजस्व अपील/34/2020/ भूराराम बनाम तहसीलदार समदड़ी

राजस्व अपील सं. 31/2020

अपीलार्थी—

भूराराम पुत्र हीराराम जाति चौधरी  
निवासी समदड़ी तहसील समदड़ी  
जिला बाड़मेर

बनाम

उत्तरदाता—

1. तहसीलदार समदड़ी
2. नन्दलाल पुत्र हरवंशप्रसाद जाति  
खत्री निवासी समदड़ी तहसील  
समदड़ी जिला बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व  
अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 06.03.2020 जो संपरिवर्तन  
प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार समदड़ी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री कैलाश पुरी, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुरेश कुमार पूनड़, अधिवक्ता रेस्पोंड सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोंडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार

राजस्व अपील सं. 33/2020

अपीलार्थी—

भूराराम पुत्र हीराराम जाति चौधरी  
निवासी समदड़ी तहसील समदड़ी  
जिला बाड़मेर

बनाम


उत्तरदाता—

1. तहसीलदार समदड़ी
2. हेमलता पत्नी नन्दलाल जाति  
खत्री निवासी समदड़ी तहसील  
समदड़ी जिला बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व  
अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 06.03.2020 जो संपरिवर्तन  
प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार समदड़ी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री कैलाश पुरी, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुरेश कुमार पूनड़, अधिवक्ता रेस्पोंड सं. 2 की ओर से उपस्थित
3. रेस्पोंडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार

  
जिला फोरमक्टर  
बाड़मेर

राजस्व अपील सं. 34/2020

अपीलार्थी—

भूराराम पुत्र हीराराम जाति चौधरी  
निवासी समदड़ी तहसील समदड़ी  
जिला बाड़मेर

बनाम

उत्तरदाता—

1. तहसीलदार समदड़ी
2. हेमलता पत्नी नन्दलाल जाति  
खत्री निवासी समदड़ी तहसील  
समदड़ी जिला बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व  
अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 06.03.2020 जो संपरिवर्तन  
प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार समदड़ी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री कैलाश पुरी, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुरेश कुमार पूनड़, अधिवक्ता रेस्पोंड सं. 2 की ओर से उपस्थित
3. रेस्पोंडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार

आदेश

दिनांक : 18/04/2022

1. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत उपर्युक्त चारों की अपीलों में समान पक्षकार होने एवं समान विषयवस्तु होने से इन चारों की अपीलों को एक ही संयुक्त निर्णय के द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर रखी जावें।

अपीलार्थी की ओर से उपर्युक्त चारों प्रथम अपीलें राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार सिवाना व तहसीलदार समदड़ी द्वारा रेस्पोंडेंट की ओर से प्रस्तुत कृषि भूमि संपरिवर्तन प्रार्थना पत्रों पर उल्लेखित आदेश दिनांक 17.06.2002 एवं 06.03.2020 के विरुद्ध पेश की गई है।

  
जिला कलेक्टर  
बाड़मेर

3. प्रस्तुत अपीलों के संक्षिप्त तथ्य यह है कि ग्राम समदड़ी के खसरा नम्बर 314/1 रकबा 01-10 बीघा भूमि अपील सं. 32/2020 में संस्थित रेस्पोंडेंट सं. 2से8 व 10 की खातेदारी में दर्ज थी तथा उक्त खातेदारान ने द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 1992 के तहत निर्धारित फॉर्म-क में एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना के समक्ष प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किये जाने हेतु निवेदन किया गया। तहसीलदार सिवाना द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर हल्का पटवारी से मौका कब्जा एवं रेकॉर्ड की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट ली गई एवं प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 17.06.2002 के द्वारा स्वीकृत कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांत ने प्रथम अपील सं. 32/2020 दिनांक 09.09.2020 को हमारे समक्ष प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। इसी प्रकार मौजा समदड़ी के खसरा नम्बर 1550/334 रकबा 01-04-10 बीघा भूमि खातेदार नन्दलाल पुत्र हरंबशप्रसाद जाति खत्री निवासी समदड़ी तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर, खसरा नम्बर 1549/334 रकबा 01-04-10 बीघा हेमलता पत्नी नन्दलाल जाति खत्री निवासी समदड़ी जिला बाड़मेर, खसरा नम्बर 1551/334 रकबा 01-04-10 बीघा मनोज कुमार पुत्र भैरूलाल जाति महेश्वरी निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर के नाम खातेदारी दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने तहसीलदार समदड़ी के समक्ष राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत अपनी खातेदारी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किये जाने हेतु निवेदन किया गया। तहसीलदार समदड़ी द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर हल्का पटवारी से मौका कब्जा एवं रेकॉर्ड की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट ली गई एवं प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 06.03.2020 के



द्वारा स्वीकृत कर दिया। इन आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने प्रथम अपील सं. 31/2020, 33/2020 एवं 34/2020 दिनांक 09.09.2020 को हमारे समक्ष प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

4. अपीलांट की ओर प्रस्तुत अपीलें मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट्स को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावलियाँ तलब कर अवलोकन किया।
5. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश प्रत्याशत गलत, अवैध, अशुद्ध, विधि विरुद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के भिन्न व विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व विधि के आज्ञापक प्रावधानों एवं विधि के द्वारा स्थापित सिद्धान्तों का मानमानी तरंग पर अतिलंघन कर उक्त आदेश पारित किय गये हैं जो अपास्त योग्य हैं। मौजा समदड़ी के खसरा नम्बर 1549/334, 1550/334 व 1551/334 की भूमि वर्तमान में चालू सड़क मार्ग से दूर स्थित तथा उक्त संपरिवर्तित भूमि के कोई कटाण रास्ता नहीं लगता है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कटाण रास्ता से जुड़ता होना बताकर संपरिवर्तन आदेश पारित किये हैं। खसरा नम्बर 1539/334, 1550/334, 1582/334, 1551/334 की सम्पूर्ण भूमि हरबंशप्रसाद खत्री की थी जिसने अपने ही रिश्तेदार व हितबद्ध व्यक्तियों के नाम छोटे-छोटे कृषि भूमि के खण्ड कर पंजीयन कराया तथा सभी ने मिलकर उक्त भूमि का संपरिवर्तन करवाकर अवैध व अनुचित तरीके से कॉलोनाईजेशन किया। रेस्पोंडेंट्स ने इस प्रकार छोटे-छोट प्लॉट काटकर हिंगलाजनगर नाम से कॉलोनी बनाकर प्लॉट विक्रय हेतु इशतहार जारी किया हैं। संपरिवर्तन नियमानुसार कॉलोनी के लिये सार्वजनिक सुविधाओं हेतु 40 प्रतिशत भूमि विधालय, पार्क, चिकित्सालय व अन्य प्रयोजनार्थ छोड़ना आवश्यक हैं, लेकिन प्रश्नगत संपरिवर्तन आदेश में इन नियमों की अनदेखी की गई हैं। अपीलार्थी



ने हाल ही रास्ता खोलो अभियान के तहत उक्त रास्ता खोलने हेतु हल्का पटवारी को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया तब मौके पर आकर हल्का पटवारी ने बताया कि विवादित भूमि छोटे-छोटे भूखण्डों में हैं जो खसरा नम्बर 314/1 की भूमि न होकर रास्ता होना बताया तथा रास्ते की भूमि रेस्पोडेंट्स द्वारा विक्रय किया जाना बताया। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत संपरिवर्तन आदेश की नकलें प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांक 29.07.2020 को प्रस्तुत किया जिस पर उसी दिनांक 29.07.2020 को नकलें प्राप्त हुई तब प्रश्नगत आदेश की प्रथम बार जानकारी हुई। इसी प्रकार आलौच्य आदेश दिनांक 17.06.2002 की नकल दिनांक 26.08.2020 को प्राप्त होने पर प्रथम बार जानकारी हुई। इस प्रकार आलौच्य आदेश की प्रथम बार जानकारी होने से अन्दर मयाद अपीलें प्रस्तुत की जा रही हैं तथा सदभाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किये जा रहे हैं। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत उपर्युक्त चारों अपीलें स्वीकार कर आलौच्य आदेश अपास्त किये जावें तथा इन अवैध आदेशों की आड़ में रास्ते की भूमि के बेचानों को शुन्य करार दिये जावें।

6. रेस्पोडेंट्स की ओर से जवाब मे अधिवक्ता ने प्रकट किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी क्षेत्राधिकारिता के अधीन रेस्पोडेंट्स की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों पर खातेदारी भूमि के नियमानुसार संपरिवर्तन आदेश जारी किये गये हैं। रेस्पोडेंट्स की खातेदारी भूमि कटाण मार्ग पर ही आई हुई हैं कटाण मार्ग पर किसी व्यक्ति का कोई अतिक्रमण नहीं हैं। रेस्पोडेंट्स का अपनी खातेदारी भूमि का नियमानुसार शुल्क संदाय कर आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कर उपयोग करने का विधिसम्मत अधिकार हैं, जिसे बाधित करने का अपीलांट्स को कोई अधिकार नहीं हैं तथा न ही अपीलांट इसमें किसी भी रूप में हितबद्ध पक्षकार हैं। अपीलांट ने तृतीय पक्षकार की हैसियत से उसके प्रभावित होने के कारण व तथ्य मनगढ़त अंकित किये हैं, इस प्रकार बिना किसी प्रभावित पक्षकार को अपील पेश करने का अधिकार



नहीं हैं। अपीलांट यदि रास्ते एवं अन्य सुखाचार के बाबत उक्त प्रकरण को जनहित में वाद में रूप में पेश करना चाहता है तो उसे सक्षम सिविल न्यायालय में ही आमजन की ओर से जनहित वाद प्रस्तुत कर चाराजोही करनी चाहिए। अपीलांट को अपीलाधीन आदेशों की जानकारी आरम्भ से ही थी क्योंकि अपीलांट विवादित भूमि का पडौसी खातेदार हैं किन्तु इसके बाद भी स्वयं अपीलांट के कथन से उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 29.07.2020 को होने के बाद भी हस्तगत अपीलें दिनांक 09.09.2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं जो अभिलेखीय तौर पर मयाद बाहर हैं, तथा विलम्ब का कोई सद्भाविक कारण प्रकट नहीं किया है, ऐसे में अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत चारों की अपीलें मयाद बाहर होने से भी खारिज योग्य हैं।

7. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 1992 एवं नियम 2007 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों पर रेस्पोंडेंट्स की खातेदारी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये हैं। इन आदेशों के विरुद्ध अपीलांट द्वारा इस आधार पर हस्तगत अपीलें प्रस्तुत की गई हैं कि विवादित संपरिवर्तन आदेशों की आड़ में रेस्पोंडेंट्स द्वारा कटाण रास्ते पर अतिक्रमण किया जा रहा है। जबकि कटाण रास्ते पर यदि कोई अतिक्रमण हो रहा है तो इसके लिये सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर चाराजोही करनी चाहिए। इस प्रकार अपीलांट का अपील प्रस्तुत करने का यह आधार मान्य नहीं हो सकता है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2020 की जानकारी अपीलांट के स्वयं के कथनानुसार दिनांक 29.07.2020 को हुई है तथा हस्तगत अपीलें दिनांक 09.09.2020 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। इस प्रकार अभिलेखीय तौर पर हस्तगत अपीलें मयाद बाहर हैं



तथा जानकारी होने के बाद भी निर्धारित मयाद अवधि के बाद प्रस्तुत की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावलियों के अवलोकन से पाया जाता है कि रेस्पोंडेंट्स खातेदारान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों पर नियमानुसार स्थानीय जांच एवं शुल्क संदाय पर नियमानुसार संपरिवर्तन आदेश पारित किये गये हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है। रेस्पोंडेंट्स की अपनी खातेदारी भूमि के संपरिवर्तन से अपीलांट के हित किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होते हैं किन्तु इसके बावजूद भी यदि अपीलांट के निजी सुखाचार प्रभावित होना मानता है तो इसके लिये सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। इसी प्रकार रेस्पोंडेंट्स द्वारा रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण किया है तो इसके लिये तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर रास्ता खुलवाने हेतु पृथक से निवेदन कर सकता है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत अपीलों के अपीलाधीन आदेश के द्वारा रेस्पोंडेंट्स की खातेदारी भूमि के संपरिवर्तन करने का जो निर्णय लिया गया है, उसमें हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नहीं की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह चारों ही अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह चारों ही प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ-साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।



निर्णय आज दिनांक 18.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18.04.2022  
लोक  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

लोक  
( लोक बंधु )  
जिला कलक्टर, बाड़मेर  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर